सत्यमेव जयते

प्रधान महालेखाकार का कार्यालय (लेखा एवं हक),
आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद - 500 004.

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E),
ANDHRA PRADESH HYDERABAD - 500 004.

दिनांक / Date :

PM/VI/211-12/

To
The Director of Treasuries and Accounts
Insurance Building Complex
Tilak Road
HYDERABAD

Sir,

Sub: Forwarding of Uttarakhand state pensioners/family pensioners revised rates of DAw.e.f.01-07-2010 – reg

Ref: 1. AG(A&E), UTTARAKHAND lr,No.pen/uttarakhand/ DR/SSA/10-11/3394 dt.09-02-2011.
2. Govt. of Uttarakhand lr. No.725/XXVii(7)MB/2010.dt.26-10-20100

***

I am to enclose herewith a Special Seal Authority issued by the Accountant General (A&E), Uttarakhand, Dehradun in the reference cited. The same is being placed in the official website of this office (www.ag.ap.nic.in). I am to request you to direct all the District Treasury Officers to download the orders and take necessary action to minimise hardship to the pensioners of the state concerned.

Yours faithfully

Sr. Accounts Officer.

Copy to:
The Joint Director
Pension Payment Officer
Nampally
HYDERABAD for information and necessary action.

Sr. Accounts Officer.

दू०भा०/ Phone : 040-23236810-19, ई-मेल / E-mail : agaeAndhrapradesh@cag.gov.in
Web Site : http://ag.ap.nic.in फैक्स / Fax : 040-23232441 तार / Grams : Accounts

spl scrl P-14 15/15/2524 1/3

12015

I

3/3

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक :– पेंशन / उत्तराखण्ड / मंहगाई राहत / वि.मु.प्रा. / 10-11/3394 दिनांक : 09/2/2011

विशेष मुद्रा प्राधिकृत के अन्तर्गत

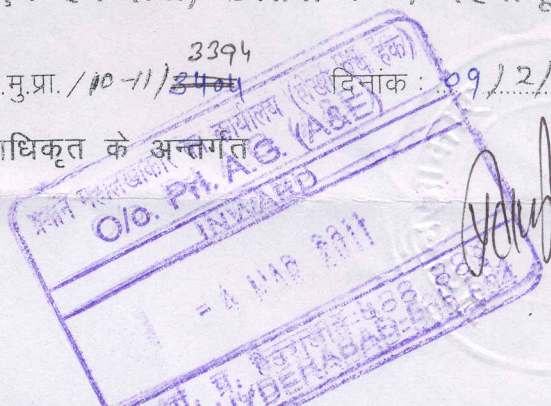

O/o. Pr. A.G. (A&E) INWARD - 4 MAR 2011 HYDERABAD

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक.)

आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद

विषयः उत्तराखण्ड सरकार के पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों, जो अन्य प्रान्तों से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं को दिनांक 1-7-2010 से बढ़े हुये मंहगाई भत्ते के भुगतान के सन्दर्भ में।

119434 03/03/11

सन्दर्भ :– का.ज्ञा. संख्या 725/XXVII(7)पे०आ०/2010 दिनांक 26-10-2010

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत इस कार्यालय के पूर्व वि.मु.प्रा. पत्र संख्याः पेंशन / उत्तराखण्ड / महंगाई राहत / वि.मु.प्रा. / 10-11/2169 to 2195 दिनांक 4-10-10 के तारतम्य में उत्तराखण्ड सरकार के का.ज्ञा. संख्या 725/XXVII(7)पे०आ०/2010 दिनांक 26-10-10 की एक प्रति संलग्न करते हुये अनुरोध है कि उत्तराखण्ड सरकार के जो पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर, आपके प्रान्त के अन्तर्गत कोषालयों / बैंक आदि से पेंशन / पा. पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, को उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 26-10-10 के अन्तर्गत दिनांक 1-7-2010

से 35% प्रतिशत के स्थान पर अब 45% प्रतिशत महंगाई राहत भुगतान हेतु कार्यवाही अपने स्तर से कराने की व्यवस्था करें।

उक्त की पावती अवश्य भेजें।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार

का.ज्ञा. दिनांक 26-10-2010 की प्रति

भवदीय,

~~वरिष्ठ~~ लेखाधिकारी / पेंशन

संख्या :– पेंशन / उत्तराखण्ड / महंगाई राहत / 2010-11/ तद्दिनांक /2/2011

प्रतिलिपि :– निर्देशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड शासन, 23, लक्ष्मी रोड डालनवाला, देहरादून को उनके पत्रांक शून्य दिनांक शून्य के सन्दर्भ में सूचनार्थ।

~~वरिष्ठ~~ लेखाधिकारी / पेंशन

23068/2

संख्याः725 / xxvii(7)म.भ. / 2010

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,उत्तराखण्ड।
2– वित्त अधिकारी / कुल–सचिव,समस्त राज्य विश्वविद्यालय,उत्तराखण्ड।
3– समस्त अध्यक्ष,जिला पंचायतें,उत्तराखण्ड।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 देहरादून,दिनांक 26 अक्टूबर,2010

विषयः राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को दिनांक 01 जुलाई, 2010 से मंहगाई भत्ते का पुनरीक्षण ।

पठित निम्नलिखित :–

1– शासनादेश संख्याः579 / xxvii(7)म.भ. / 2010 दिनांक 09 जून,2010।
2–भारत सरकार,वित्त मंत्रालय,व्यय विभाग,कार्यालय ज्ञाप शासनादेश सं0 1(6) / 2010 – संस्था–ii(ख)दिनांक 22सितम्बर,2010।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 के शासनादेश संख्या 579 / xxvii(7)म.भ. / 2010 दिनांक 09 जून,2010 द्वारा दिनांक 01 जनवरी,2010 से महंगाई भत्ता मूल वेतन के 35 प्रतिशत की दर से अनुमन्य किया गया है।

2– उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क0 सं0 1 एवं 2 में उल्लिखित शासनादेश शासनादेश संख्याः579 / xxvii(7) / 2010 दिनांक 09 जून,2010 तथा भारत सरकार,वित्त मंत्रालय,व्यय विभाग,कार्यालय ज्ञाप संख्याः 1(6) / 2010– संस्था –ii (ख)दिनांक 22सितम्बर,2010 के कम में राज्यपाल महोदय ने दिनांक 1–7–2010 से प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते में 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 35 प्रतिशत से बढ़ाकर 45 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है।

3– इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते के संबंध में शासनादेश संख्या–1–1599 / दस–42(एम) / 97,23नवम्बर,1998 के प्रस्तर–3,4,5 एवं 7 में उल्लिखित प्राविधान यथावत् लागू रहेंगे।

4– इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत / संशोधित दरों पर मंहगाई भत्ते को दिनांक 01 जुलाई,2010, से उन कर्मचारियों, जिनकी सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति 01 अक्टूबर,2005 या उसके बाद हुई हो (अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित हैं) को छोड़कर शेष कर्मचारियों को दिनांक 01 जुलाई,2010 से 31 अक्टूबर, 2010 तक(सेवा निवृत्त एवं 6 माह के अधीन सेवा निवृत्त होने वाले व्यक्तियों को छोड़कर) की बढ़ी हुई धनराशि उनके सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी तथा माह 01 नवम्बर 2010 से इसको नकद भुगतान किया जाएगा। परन्तु 01 अक्टूबर,2005 या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के अवशेष(एरियर) की धनराशि एन0एस0सी0 के रूप में भुगतान की जायेगी।

5– इस आदेश के द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते के भुगतान की प्रकियां जो उपरोक्त प्रस्तरों में उल्लिखित है, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों पर भी लागू होगी।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)

संख्या : 725 / xxvii(7)म.भ. / 2009 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार,ओबराय भवन,माजरा,देहरादून।
2. समस्त कोषाधिकारी,उत्तराखण्ड,देहरादून।
3. वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक),भारत सरकार,वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), कमरा नं--261,नार्थ ब्लाक,नई दिल्ली--110001।
4. सचिव,राज्यपाल महोदय,उत्तराखण्ड,देहरादून।
5. सचिव,विधान सभा,उत्तराखण्ड,देहरादून।
6. महानिबन्धक,उच्च न्यायालय,उत्तराखण्ड,देहरादून।
7. रीजनल प्रॉविडेन्ट फण्ड कमिश्नर,कानपुर / देहरादून।
8. निदेशक,कोषागार एवं वित्त सेवाएं,उत्तराखण्ड,देहरादून।
9. वित्त, आडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
10. स्थानिक आयुक्त,उत्तराखण्ड,नई दिल्ली।
11. निदेशक,एन0आई0सी0,उत्तराखण्ड,देहरादून।

आज्ञा से,

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव।

निदेशालय कोषागार एवं वित्त सेवायें उत्तराखण्ड
23--लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।

पत्रांक 1333 /21(15)/पेंशन/नि.को.वि.से./2010, दिनांक 28 अक्टूबर, 2010

प्रतिलिपि-- समस्त कोषागार अधिकारी उत्तराखण्ड को उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग--7 के शासनादेश संख्या:725/XXVii(7)म.भ./2010, दिनांक:26 अक्टूबर, 2010 की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि उक्त शासनादेश में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
संयुक्त निदेशक।